

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद की वित्त उप समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि : 21-04-2014

स्थान : महानिदेशक सभाकक्ष
उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद, किसान मण्डी भवन,
अष्टम तल, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर
लखनऊ।

समय : पूर्वान्ह 11.00 बजे।

उपस्थित :

- | | | |
|-------------------------------|--|------------|
| 1- डा० एम०एस० औलख | कुलपति | -- अध्यक्ष |
| 2- श्री बशी लाल यादव | मान०सदस्य, प्रबन्ध परिषद | -- सदस्य |
| 3- श्री अशोक कुमार | विशेष सचिव उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०शासन | -- सदस्य |
| 4- श्री जय प्रकाश नारायण | विशेष सचिव वित्त विभाग, उ०प्र०शासन | -- सदस्य |
| 5- श्री विनय शंकर पाण्डेय | अनुसचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ०प्र०शासन | -- सदस्य |
| 6- श्री सुरेश चन्द्र उपाध्याय | वित्त नियंत्रक | -- सचिव |

बैठक प्रारम्भ होते ही सचिव वित्त उप समिति ने नवागत कुलपति / अध्यक्ष वित्त उप समिति का परिचय माननीय सदस्यों से कराया। माननीय सदस्यों ने माननीय कुलपति का स्वागत एवं अभिनन्दन किया। माननीय कुलपति महोदय ने भी सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया, तदोपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुयी एवं निम्नवत संस्तुतियों प्रदान की गयी।

प्रस्ताव सं० 1: वित्त उप समिति की गत बैठक दि० 24-07-2013 की कार्यवृत्त की पुष्टि।


वित्त उप समिति की गत बैठक दिनांक 24-07-2013 की कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव सं० 2: वित्त उप समिति की गत बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना।

गत बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना से समिति अवगत हुयी एवं निम्नवत संस्तुतियों की गयी --

"प्रस्ताव सं० 3 : परीक्षा कार्य हेतु कुलसचिव कार्यालय के लिए एक बोलेरो वाहन कय किये जाने पर विचार एवं निर्णय।"

कुलसचिव कार्यालय के बोलेरो वाहन कय हेतु शासन की अनुमति प्राप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। समिति ने पुनः संदर्भ सहित शासन को अनुस्मारक भेजे जाने की संस्तुति की।


21/4/14
F.C.

कुलपति: २/-


प्रस्ताव सं 3 सुरक्षा अनुभाग में सुरक्षा कर्मियों की संख्या एवं क्षमता में कमी के कारण विश्वविद्यालय की सुरक्षा के लिए आवश्यकतानुसार पूर्व सैनिक कल्याण निगम से सुरक्षा कर्मियों को नियोजित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।


वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से प्रबन्ध परिषद के अनुमोदनार्थ इस आशय से सस्तुति प्रदान की गयी कि विश्वविद्यालय यथा आवश्यकता सुरक्षाकर्मियों को नियोजित करे । उक्त का केयन्वयन बुनाव आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त ही किये जाने की सस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं 4 : न्यूट्री फार्म राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पाइलट परियोजना) को नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज फैजाबाद में कार्यान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव को प्रबन्ध परिषद के अनुमोदनार्थ सस्तुति प्रदान की गयी ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुयी ।



(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त नियंत्रक / सचिव
वित्त उप समिति


(एम० एस० औलख)
कुलपति / अध्यक्ष
वित्त उप समिति

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद ।

पत्रांक एन०डी०यू०ए०टी० / 8 / वि०उ०स० / लेख / 2014 / 142 दिनांक 21-04-2014

प्रतिलिपि - प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।


(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त नियंत्रक / सचिव
वित्त उप समिति

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगज, फैजाबाद की वित्त उप समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि : 21-07-2014

स्थान : महानिदेशक सभाकक्ष
उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद, किसान मण्डी भवन,
अष्टम तल, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर
लखनऊ।

समय : पूर्वान्ह 11.00 बजे।

उपस्थित :

1- डा० एम०एस० औलख , कुलपति	- अध्यक्ष
2- श्री बंशी लाल यादव , मान०सदस्य प्रबन्ध परिषद	- सदस्य
3- श्री अशोक कुमार विशेष सचिव उच्च शिक्षा विभाग उ०प्र०शासन	- सदस्य
4- श्री लक्ष्मण सिंह सिसोदिया , अपर निदेशक कोषागार एवं पेशान फैजाबाद मण्डल	- सदस्य
5- श्री विनय शंकर पाण्डेय अनुसचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान उ०प्र०शासन	- सदस्य
6- श्री सुरेश चन्द्र उपाध्याय , वित्त नियंत्रक	- सचिव

बैठक प्रारम्भ होते ही माननीय कुलपति /अध्यक्ष वित्त उप समिति माननीय सदस्यों का स्वागत किया, तदोपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई एवं निम्नवत संस्तुतियों प्रदान की गयी।

प्रस्ताव सं० 1: वित्त उप समिति की गत बैठक दि० 21-04-2014 की कार्यवृत्त की पुष्टि।


वित्त उप समिति की गत बैठक दिनांक 21-04-2014 की कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।


प्रस्ताव सं० 2: वित्त उप समिति की गत बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना।

गत बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना से वित्त उप समिति अवगत हुयी।

प्रस्ताव सं० 3 विश्वविद्यालय का आय व्ययक पुनरीक्षित एवं अनुमान वर्ष 2014-15 पारित किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उप समिति द्वारा आय व्ययक पुनरीक्षित एवं अनुमान वर्ष 2014-15 जो परिशिष्ट -1 पर संलग्न है को प्रबन्ध परिषद के अनुमोदनार्थ संस्तुति प्रदान की गयी।


25/7



प्रस्ताव सं० 4 अंशकालिक /अतिथि शिक्षकों की अर्हता, मानदेय व नियुक्ति की शर्तों के सम्बन्ध में विद्वत परिषद की 221वीं बैठक में की गयी संस्तुति के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय ।

विद्वत परिषद की संस्तुति 221:1347 (प्रति संलग्न -क) के अनुचार अतिथि /अंशकालिक शिक्षक/वैज्ञानिक के मानदेय व नियुक्ति की शर्तों को वित्त उप समिति द्वारा प्रबन्ध परिषद के अनुमोदनार्थ इस संशोधन के साथ संस्तुति की गयी कि अन्य विश्वविद्यालयों की भाँति अंशकालिक शिक्षक शब्द का प्रयोग न किया जाय , अपितु केवल अतिथि शिक्षक का ही प्रयोग किया जाय :-

- श्रेणी-1 अतिथि शिक्षक/वैज्ञानिक जो भाषा/अन्य विषय कमशः तथा 'कम्प्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित है की अनिवार्य योग्यता संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री / बी०टेक० डिग्री होना चाहिए , ऐसे अतिथि शिक्षक/वैज्ञानिक को रू० 500/-' प्रतिदिन की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा ।
- श्रेणी- II अतिथि शिक्षक/वैज्ञानिक को सम्बन्धित विषय में पी०एच०डी० है (इंजीनियरिंग और पशुविज्ञान पाठ्यक्रम को छोड़कर) होना चाहिए तथा नेट योग्यता एवं अनुभवी को प्राथमिकता दी जाए। इंजीनियरिंग और पशुविज्ञान के अभ्यर्थी को कमशः एम०टेक (प्रथम श्रेणी नेट/गेट के साथ) तथा एम०वी०एस०सी० होना चाहिए। उक्त श्रेणी के अतिथि शिक्षक/वैज्ञानिक को रू० 1000/-' प्रतिदिन की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा ।
- श्रेणी- III जिन विभागों में प्राध्यापक स्तर के शिक्षक की आवश्यकता है , वहाँ 70 वर्ष आयु से कम आयु के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से सेवानिवृत्त प्राध्यापक की सेवाये ली जाय। इस श्रेणी के अतिथि शिक्षकों को प्रतिदिन रू० 2000/-'की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा ।


अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की संलग्न शर्तों का अनुमोदन भी किया गया ।

प्रस्ताव सं० 5 शिक्षणोत्तर कार्मिकों की सेवा ,सेवाप्रदायकर्ता से लिये जाने के सम्बन्ध मे ।

विश्वविद्यालय में शिक्षणोत्तर अधिकारियों /कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति /असामयिक मृत्यु के कारण विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित न हो, इस दृष्टिकोण से आवश्यक कार्यों हेतु बाह्य सेवायोजक के माध्यम से नियत वेतन पर कार्मिक लेकर कार्य चलाये सम्बन्धी प्रस्ताव प्रबन्ध परिषद के अनुमोदनार्थ वित्त उपसमिति द्वारा संस्तुत किया गया ।



21/7







प्रस्ताव सं० 6 विश्वविद्यालय परिसर में स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा पिठला एवं पंजाब नेशनल बैंक कुमारगंज को परिसर में बड़े भवन के आवंटन के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में फीस जमा करने की सुविधा आन लाइन कर दी गयी है जिससे छात्रों को फीस जमा करने के लिए बैंक में लाइन न लगानी पड़े। यह भी अवगत कराया गया कि बैंक शाखाओं को प्रस्तावित रिक्त भवन में स्थानान्तरित करने से न केवल विश्वविद्यालय को किराया के रूप में अधिक धनराशि प्राप्त होगी अपितु रिक्त भवन का रखरखाव भी बैंक द्वारा सुनिश्चित हो सकेगा। आजासीय परिसर रिक्त होने से कार्मिकों को भवन आवंटित भी किये जा सकेंगे।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा त्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं प्रबन्ध परिषद के अनमोदनार्थ इस संशोधन के साथ संन्तुति प्रदान की गयी कि सूचना संचार केन्द्र का पूर्वी भाग कवर्ड एरिया 3150.72 वर्ग फिट भारतीय स्टेट बैंक पिठला शाखा को एवं दक्षिणी विंग कवर्ड एरिया 4825 वर्ग फिट पंजाब नेशनल बैंक, कुमारगंज को तीन वर्षों हेतु लीज पर दिया जाय। उक्त भवन का किराया शासनादेशों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया जायेगा जो किसी भी दशा में वर्तमान किराये से कम नहीं होगा। तीन वर्ष के उपरान्त लीज की अवधि बढ़ायी जा सकेगी।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुयी।



(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त नियंत्रक / सचिव
वित्त उप समिति


(एम० एस० आलख)
कुलपति / अध्यक्ष
वित्त उप समिति

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद ।

पत्रांक एन०डी०यू०ए०टी०/८/वि०उ०स०/लेखा/२०१४/६१२
प्रतिलिपि - प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

दिनांक 21-07-2014


(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त नियंत्रक / सचिव
वित्त उप समिति

आय व्ययक पुनरीक्षित व्यय वर्ष 2013-14 एवं अनुमान वर्ष 2014-15

परिशिष्ट-1

(रु० हजार में)

क्रमांक	मुख्य लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय वर्ष 2013-14	अनुमान वर्ष 2014-15
1	राज्य सरकार आयोजनेत्तर		
क	कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद हेतु	472998	525320
ख	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	74127	91551
ग	महामाया कृषि अभियंत्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर,	11085	13065
घ	प्रसार योजना का सुदृढीकरण / (कृषि ज्ञान केन्द्रों हेतु)	212	267
ड०	तकनीकी प्रशिक्षण	-	1000
च	आडिट फीस	7300	24061
	योग	565722	655264
2	राज्य सरकार आयोजनागत योजनाएँ		
क	भारतीय कृषि अनु० परि० के सहयोग से संचालित 75:25 प्रतिशत परियोजनाओं हेतु 25 प्रतिशत राज्यांश	34345	52375
ख	वि०वि० में चल रहे निर्माण कार्यो हेतु	160879	367720
ग	डा०राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ प्लान्ट बायोडाइवर्सिटी एण्ड बायोटेक्नालोजी के फर्नीचर क्रय हेतु	6780	-
घ	रावे पर व्यय	109	200
ड०	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय में बी०बी०एस०सी० एण्ड ए०एच० पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष के छात्रों हेतु इन्टर्शिप कार्यक्रम हेतु राज्यांश	-	250
	योग(क+ख+ग+घ +ड०)	202113	420545
3	भारतीय कृषि अनु० परिषद नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित योजनाएं	265201	492042
	सम्पूर्ण योग:-(1+2+3)	1033036	1567851

21/7
सिंह

To consider and approve to engage of Guest/Part-time Teachers and Scientists in the University.

The University is faced with the acute shortage of Teachers in several disciplines/subjects, because for last many years, the teachers of the University have been retiring but recruitments on the posts vacated by them have not been made. Similarly, there is an urgent need of Researchers in various projects funded by outside agencies.

Therefore, it is desirable to engage Guest/Part time teachers, so that the education could be provided to the students of different degree programmes as per prescribed course curriculum. Dean, College of Veterinary Science and Animal Husbandry has given a proposal to engage retired Professors as Guest/Part time teachers keeping in view the guidelines of University Grants Commission. The University Grants Commission has issued guidelines from time to time for engaging Guest/part time teachers and visiting Professors/Fellows. The other State Universities of U.P. including Agricultural University, Banda have already made provisions for engagement of Guest/part time teachers as per requirement of different departments.

The Members of Academic Council discussed the issue of engaging Guest/Part-time Teachers and Scientists in the University gave valuable suggestions for the proposed three categories of Guest/Part-time Teachers/Scientists. Thereafter, the proposal was approved unanimously as per details given below:

Those who are engaged for the teaching purpose in the University will be known as Guest/Part-time Teachers and who are engaged for research work will be known as Guest/Part-time Scientists. The Guest/Part-time Teachers will be paid honorarium from the University's own income whereas Guest/Part-time Scientists engaged in Research & Extension projects, will be paid honorarium from the funds of the concerned project.

Three categories of Guest/part time Teachers/Scientists are proposed as under:

- Category - I Guest/Part time Teachers/Scientists in languages/other subjects and Computer Applications should have essential qualification of Master's degree and B.Tech. in concerned subjects respectively. The hired Guest/part time Teachers/Scientists of this category will be paid Rs. 500/- per day as honorarium.
- Category - II Guest/part time Teachers/Scientists of this category should possess essential qualification of Ph.D. in concerned subjects, (except Engineering and Veterinary subjects) preferably NET qualified and experienced. In case of Engineering and Veterinary Sciences, the candidates should possess M.Tech (1st division with NET/GATE) and M.V.Sc., respectively. The Guest/part time teachers/Scientists of this category will be paid Rs. 1000/ per day as honorarium.

M.S.A.
(Milkha Singh Aulakh)
Vice-Chancellor

[Signature]
20/7
[Signature]


5
[Signature]
REGISTRAR

Category – III


In those departments where Teachers in the rank of Professors are required, retired Professors below the age of 70 years from the recognized universities will be hired. These hired Guest/Part-time Teachers will be paid honorarium of Rs. 2000/- per day.

The Terms and Conditions for engagement of the above three categories of Guest/Part-time Teachers/Scientists would be as under:

- I. The Guest/Part-time teacher should possess qualifications mentioned against his/her category in concerned subject/discipline preferably with teaching experience at UG and PG level in the concerned discipline
- II. The Guest/Part-time teacher should be either unemployed or retired from service below the age of 70 years.
- III. The Guest/Part-time teacher will be paid a fixed honorarium at the rate mentioned against each category per day (irrespective of number of lectures/practical classes taken) subject to a maximum of 20 days in a calendar month.
- IV. The main responsibility of the Guest/Part-time teacher will be teaching of UG and PG Courses, development of course curriculum and establishment of laboratories and education farm. However, he/she will have to perform additional duties in research, extension, administration etc. as and when assigned by the competent authority.
- V. Guest/Part-time teacher shall have to abide by the Rules and Regulations of the University in vogue at present and implemented from time to time.
- VI. The engagement of Guest/Part-time Teachers/Scientists will be for the period of one Semester only but could be re-engaged as per requirement of the University. On the other side, the engagement may be terminated by the University Administration at anytime without prior notice and without assigning any reasons.
- VII. Guest/Part-time teacher shall be required to execute a Contract-bond on the non-judicial Stamp paper of Rs. 100/- duly attested by the Public Notary with the University stating that he/she will not use this engagement as a basis to claim regular employment in the University in future, and will not leave the engagement in-between the semester.
- VIII. He/she will provide a recent health certificate at the time of joining the engagement.


(Milkha) _____
Vice-Chancellor


21/7



नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद की वित्त उप समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि : 05-12-2014

स्थान : हाई टेक सभाकक्ष (अतिथि गृह)
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ,
कुमारगंज , फैजाबाद ।

समय : अपरान्ह 3.00 बजे ।

उपस्थित :

- | | |
|--|-----------|
| 1- प्रो० अख्तर हसीब , कुलपति | - अध्यक्ष |
| 2- श्री बंशी लाल यादव ,मान०सदस्य प्रबन्ध परिषद | - सदस्य |
| 3-श्री अशोक कुमार सिंह ,सहायक लेखाधिकारी प्रतिनिधि अपर निदेशक कोषागार
एवं पेशन फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद | - सदस्य |
| 4- श्री सुरेश चन्द्र उपाध्याय , वित्त नियंत्रक | - सचिव |

बैठक के प्रारम्भ में वित्त नियंत्रक/सचिव वित्त उपसमिति ने नये कुलपति कुलपति प्रो० अख्तर हसीब का औपचारिक परिचय वित्त उप समिति के माननीय सदस्यों से कराया । वित्त उपसमिति के माननीय सदस्यों ने नवागत कुलपति का स्वागत एवं अभिनन्दन किया एवं आशा व्यक्त की कि उनके अनुभव एवं कुशल प्रशासन का लाभ विश्वविद्यालय को प्राप्त होगा तथा विश्वविद्यालय उनके निर्देशन में निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा । कुलपति ने माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया , तदोपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई एवं निम्नवत संस्तुतियाँ प्रदान की गयी :-

प्रस्ताव सं० 1: वित्त उप समिति की गत बैठक दि० 21-07-2014 की कार्यवृत्त की पुष्टि ।


वित्त उप समिति की गत बैठक दिनांक 21-07-2014 की कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।


प्रस्ताव सं० 2: वित्त उप समिति की गत बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना ।

गत बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना से वित्त उप समिति अवगत हुयी ।

प्रस्ताव सं० 3 : उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ द्वारा वित्त पोषित कद्दू वर्गीय सब्जियों की वर्ष भर खेती क्यों, कब और कैसे टेक्निकल डाकुमेन्ट का मुद्रण एवं प्रकाशन. विषयक परियोजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा योजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।


11/12/14
(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त नियंत्रक



प्रस्ताव सं 4 : विश्वविद्यालय के अधीन उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ के द्वारा शोध निधि के अन्तर्गत वित्त पोषित "Feasibility of customized fertilizers for sustainability of rice-wheat and maize-potato cropping system in U.P" परियोजना को विश्वविद्यालय में वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा योजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं 5 : उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ द्वारा वित्त पोषित " कन्ट्रोलिंग पाड बोरर (हेलिकोवरपा आरमीजेरा) इन पिजनपी (कजेनस कजान एल० मिल्लस पाउ) यूजिंग नेचुरल टाक्सिन्स " योजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा योजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं 6 : उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित "Isolation , characterization and development of bio-formulation plant growth promoting rhizobacteria of major crops grown in agro-ecological conditions of Uttar " परियोजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किए जाने पर विचार एवं निर्णय ।


वित्त उप समिति द्वारा योजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं 7 : गृह विज्ञान महाविद्यालय के अन्तर्गत खाद्य एवं पोषण विज्ञान विभाग के लिए उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा यूटिलाइजेशन आफ इन्डीजिनस फूड्स फार द डेवलपमेन्ट आफ फंक्शनल फूड्स टू कॉम्बेट माइक्रोन्यूट्रिएन्ट डिफिसिएन्सीज नामक शोध योजना को इस विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा योजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं 8 : राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत परियोजना द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना Conservation, Propagation and Genetic Improvement of Sahiwal Cattle in Eastern U.P. को बाराबंकी जिले में कार्यान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा योजना को बाराबंकी जिले में संचालित किये जाने के लिए संशोधित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।


(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त नियंत्रक



प्रस्ताव सं० 9 : नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के अधीन आजमगढ़ एवं गोण्डा में नये कृषि महाविद्यालयों की स्थापना पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के अधीन आजमगढ़ एवं गोण्डा में नये कृषि महाविद्यालयों की स्थापना किये जाने विषयक प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव

प्रस्ताव सं० 10: शोध निदेशालय के अधीन कीट विज्ञान विभाग में संचालित अखिल भारतीय मौन पालन एवं परागण सहायक कीट परियोजना , भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ,नई दिल्ली के वित्त पोषण से संचालित (75+25) हेतु परिषद से स्वीकृत मानव शक्ति के सृजन विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।


वित्त उप समिति द्वारा योजना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्वीकृत मानव शक्ति के सृजन किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं० 11: बाह्य परीक्षा के विभिन्न कार्यों के पारिश्रमिक की दरों को विद्वत परिषद की संस्तुति के अनुसार पुनरीक्षित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा विद्वत परिषद की 222वीं बैठक के मद संख्या 222:1355 की संस्तुति के अनुसार बाह्य परीक्षा के विभिन्न कार्यों के पारिश्रमिक की दरों को पुनरीक्षित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं० 12: विश्वविद्यालय के अधीन उ०प्र०कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ के द्वारा शोधनिधि के अन्तर्गत वित्त पोषित **“Evaluation of Farmers Advisory Systems, Adoption Extent and Impact Assessment of Agril. Technology in Eastern U.P.** परियोजना , को विश्वविद्यालय में वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिये विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा योजना के विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।



(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त नियंत्रक




प्रस्ताव सं० 13 : नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के अधीन जनपद सोनभद्र के राबर्ट्सगंज (मगुराही) में नये कृषि महाविद्यालय की स्थापना पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के अधीन जनपद सोनभद्र के राबर्ट्सगंज (मगुराही) में नये कृषि महाविद्यालय की स्थापना किये जाने विषयक प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुयी ।



(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त नियंत्रक / सचिव
वित्त उप समिति


(प्र० अख्तर हसीब)
कुलपति / अध्यक्ष
वित्त उप समिति

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद ।

पत्रांक एन०डी०यू०ए०टी०/८/वि०उ०स०/लेखा/२०१४/१५४०
प्रतिलिपि - प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

दिनांक ११-१२-२०१४


(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त नियंत्रक / सचिव
वित्त उप समिति

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद की वित्त उप समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि : 19-02-2015
स्थान : कुलपति सभाकक्ष
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
कुमारगंज, फैजाबाद।
समय : अपराह्न 3.30 बजे।
उपस्थित :

- | | |
|---|-----------|
| 1- प्रो० अख्तर हसीब , कुलपति | - अध्यक्ष |
| 2- श्री सुरजन, संयुक्त सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ० प्रशासन | - सदस्य |
| 3- श्री बंशी लाल यादव , मान० सदस्य प्रबन्ध परिषद | - सदस्य |
| 4- डा० कृपा शंकर पाण्डेय अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन फैजाबाद मण्डल | - सदस्य |
| 5- श्री सुरेश चन्द्र उपाध्याय , वित्त नियंत्रक | - सचिव |

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति /अध्यक्ष वित्त उपसमिति द्वारा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया एवं बैठक में प्रथम बार भाग लेने वाले डा० कृपा शंकर पाण्डेय , अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन , फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद का परिचय वित्त उपसमिति के माननीय सदस्यों से कराया गया , तदोपरान्त बैठक में निम्नवत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :-

प्रस्ताव सं० 1 कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन , लखनऊ के शासनादेश सं० -2/2015/2136/67-कृषिअ-14-1500(124)/12 टी०सी०-1 लखनऊ दिनांक 12 जनवरी 2015 जिसके द्वारा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय , फैजाबाद के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) की स्थापना हेतु आवश्यक पदों के सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने के फलस्वरूप सूचनार्थ ।


वित्त उप समिति द्वारा कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन , लखनऊ के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 जनवरी 2015 द्वारा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के अन्तर्गत आजमगढ़ में कृषि महाविद्यालय(कैम्पस) की स्थापना हेतु आवश्यक पदों के सृजन से अदन्त होकर प्रबन्ध परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।
23/2/15
(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त नियंत्रक/सचिव
वित्त उप समिति

24.02.15
(प्रो० अख्तर हसीब)
कुलपति/ अध्यक्ष
वित्त उप समिति

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमासगंज, फैजाबाद ।

पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0/8/वि0उ0स0/लेखा/2015/1986 दिनांक 28-02-2015
प्रतिलिपि - प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।


(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त नियंत्रक / सचिव
वित्त उप समिति